


राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश/ 139 /2025 दिनांक :20.01.2025

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश/4330/2024 दिनांक 20.12.2024 के द्वारा श्री नीरज कुमार (RJ00368), तत्कालीन विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-04, कोटा हाल न्यायाधीश, औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर महानगर-द्वितीय को दिनांक 06.01.2025 से 07.02.2025 तक 33 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 05.01.2025 एवं 08.02.2025 व 09.02.2025 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, जिसे निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:-स्था.बी.2(4)/76/2000/ 676

दिनांक 20.01.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-04, कोटा को उनके पत्रांक 14 दिनांक 06.01.2025 के सन्दर्भ में।
3. श्री नीरज कुमार (RJ00368), न्यायाधीश, औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर महानगर-द्वितीय।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-05, कोटा।


सहायक रजिस्ट्रार 20/01/25